Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN (Online): 3048-6513
Volume: 3 Issue: 2 || February 2026 || DOI: 10.5281/zenodo.18797795

पुरूषों की विवाह पहचान का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. संजू[1] & अनिलराज[2]

सारांश :

समाज में विवाह का यदि अर्थ समझे तो महिला पुरूष एक होकर समाज को सुचार ढ़ग से संचालित करना है किन्तु यदि पितृ समाज को समझे जिसमें समाज या देश में घर के अंदर स्त्री एवं घर के बाहर पुरूष का काम हमें ऐतिहासिक परिट्टश्य से देखने को मिलता है साथ ही जहा काम से लेकर पहनावा व निर्णय की स्वतंत्रता या फैसला लेने की आजादी अधिकार पुरूषप्रधान समाज में पुरूषों को प्राप्त है जिसमें महिला भागीदार शून्य है भारत देश में हिन्दू विवाह अधिनियम 1995 के तहत जो संसद द्वारा पारित एक कानून है जो हिन्दू विवाह से संबधित है जिसमे विवाह से संबंधित हो रहे समस्या जैसे तलाक भरण पोषण की समस्या से निजात पाया जा सके भारत देश मे अधिकतर नारीवादी वैज्ञानिक हुए जिन्होने अपने अनेक प्रकार की पुस्तको के माध्यम से अपने विचारों को साझा कर पुरूष प्रधान समाज में समस्या झेल रही महिलाओं का समाधान का प्रयास किया परन्तु समस्या बढ़ती गई कम नहीं हुई समाज की बड़ी समस्या है कि लोग स्त्री, पुरूष के जैविक अंतर को नहीं समझते और असमानता करते है साथ ही समाजिक मान्यताओं प्रथाओं से उपजी अंतर को समाज में बाटकर समस्या का कारण बने बैठ है परन्तु निराकरण का प्रयास केवल महिलाएँ ही कर रही क्योकि इस समाज में कहावत है दर्द उसे महसूस होता जिसे चोट लगती है।

की वार्ड – समाज, पुरूषप्रधान देश, स्त्री समाजिक बुराई,

परिचय :– प्राचीनकाल स पुरूष एवं स्त्री उत्पन्न है स्त्री को पुरूष द्वारा प्रारंभ से ही परिवार घर की अविवेकपूर्ण जेल में कैदी बनाकर रखा व मानव सभ्यता के विकास में अपना योगदान देने से वंचित किया।

एजिल्स के अनुसार :– आर्थिक शक्ति पुरूष की मुटठी में बंद रहती है, परिवार, न कि विवाद असली बाधा है।

भारत एवं अन्य देशो में पुरूष प्रधान समाज ने स्त्रीयों को एक पदार्थ मानकर उसके साथ दुर्व्यहार किया, इतिहास में महिला को गृहणी व पालन पोषण करने वाली माना जाता था वैदिक काल में सार्वजनिक जीवन में भाग लिया मध्य काल आते आते महिला की स्थिति किसी भी परिवार में एक स्त्री की पहचान किसी की पुत्री, बहन, पत्नि, माँ के रूप में अधिक देखने को मिलता है उनकी अपने स्वयं की कोई पहचान नहीं होती जब एक स्त्री अपनी पहचान बनाने समाज से संघर्ष करके आगे आती है तो स्त्री बाहर निकले तो भी वह अपनी वह पहचान जो उसे परिवार, समाज ने दिया उसे लेकर बाहर जाना पड़ता है ताकि समाज के प्रत्येक को पता रहे कि वह किसी की पत्नि है ये पहचान उन्हें प्रत्येक स्थान में शो करना होता है यह पहचान एक स्त्री को इसलिए मिली ताकि वो किसी और की संपत्ति है इसकी गारंटी हो और कोई अन्य व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं है की निशानी होती है जिसे स्त्री खुशी से श्रृंगार रूप में अपनाती है एवं स्त्री स्वीकारी हुई है परन्तु यदि हम पुरूषों की बात करे तो विवाह पश्चात पुरूष किसी स्त्री की संपति है, इसकी कोई पहचान पुरूषों के पास क्यों नहीं इसका कारण पुरूष प्रधान देश समाज एवं सोच है जिससे पिड़ित केवल महिलाएँ है एक शादी शुदा स्त्री पुरूष को एक गाड़ी के दो पहियों की श्रेणी में रखा गया फिर समाज को पहियों में एक को मजबूत दूसरे को कमजोर क्यो किया जबकि एक गाड़ी में दोनों

[1]&[2] ई.मेल. sanju281017@gmail.com

पहियों का मजबूत होना अनिवार्य होता है इसका एक ही कारण है, कि स्त्री को समाज में मजबूती से कभी नहीं स्वीकारा पुरूषों ने महिला को हमेशा अपनी दासी तुल्य माना इस विचार को बदलने की आवश्यकता है क्योकि समाज में आधी आबादी महिलाओं की है, और यदि तरक्की करनी है। तो आधी आबादी को साथ लेकर चलना होगा अन्यथा विकास असम्भव है।

शोध प्रविधी :– इस प्रविधी में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत का मिश्रण कर कार्य किया गया है।

प्राथमिक – ऐतिहासिक कानुनी दस्तावेज साख्यिकी डाटा का प्रयोग किया गया है।

द्वितीयक – शासकीय प्रतिवेदन

उदेश्य :– 1. महिला की सामाजिक स्थिति में सुधार करना।

2. महिला एवं पुरूष के विचार में परिवर्तन लाना।

3. समाज के व्यक्तियों को जागरूक करना।

4. विवाह पहचान चिन्ह में सुधार करना।

5. विवाह की पहचान स्त्री की यदि है वो दोनो के लिए हो व लोगो की सोच विकसित कराना।

6.समाज एवं परिवार में स्त्री के महत्व को समझाना।

7. पिता, भाई, बेटा, द्वारा स्त्री का सम्मान अनिवार्य कराना।

विवाह के पहचान का सामाजिक प्रभाव :– समाज में विवाह से संबंधित पहचान जो स्त्री पुरूष दोनो के लिए होना चाहिए किन्तु यह केवल महिला के लिए देखने को मिलता है। 19 वी सदी में सावित्री बाई फूले द्वारा सत्य शोधक समाज में विवाह परंपरा की एक नई परंपरा शुरू हुई थी इस विवाह में ब्राम्हणों, पंड़ितों द्वारा पारंपरिक दिखाओं और आडंबरो को जैसे दहेज या सिंदूर, मंगलसूत्र जैसे चिन्हों का परित्याग किया गया एसे ही सम्पूर्ण भारत में एसे कई स्थान है जहा वैवाहिक प्रतिक हमे अलग–अलग रूपो में मिलता है समाज के विवाह प्रतिक का होना गलत नहीं है परन्तु उस प्रतिक की आड़ में एक स्त्री पर हो रहे अन्याय की बात है जिससे सम्पूर्ण स्त्रीयाँ इसकी चपेट में आकर अपनी व्यक्तिगत विचार, खुशी शौख, को पूरी नहीं कर पाती है वही हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो चूड़ी, बिंदी, सिदूर मंगल सूत्र माँ पार्वती का प्रतिक माना गया किन्तु यह केवन आध्यात्मि है जो केवल स्त्री ही धारण करती जिसमें हमे पुरूष कही दिखाई नहीं देते है यह पहचान के बल और केवल सामाजिक बुराई अंधविश्वास उत्पन्न करती है विवाह के दौरान जो रिति रिवाजो के अनुकुल है मानकर स्त्रियों का श्रृगार किया जाता है। वही श्रृगार महिला की मृत्यु होने पर यह समाज उदार देता है और एक विद्यवा महिला को भी विभिन्न प्रकार की यावना दी जाती है और उस दौरान भी महिला मानसिक रूप से शोषित होती है किन्तु वही एक पुरूष की पत्नि की मृत्यु हो जाये तो समाज द्वारा किसी प्रकार की यातना नहीं दी जाती सम्पूर्ण समस्या का एक ही मार्ग है कि समाज ही अनेक प्रकार की रिति रिवाज बनाता है जिसमें केवल महिलाओं द्वारा ही बलिदानी दी जाती है चाहे शारिरिक हो या मानसिक यदि समाज में महिलाओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देनी जाये इस पुरूष को और महिलाएँ स्वयं अपने सामाजिक बधनों से मुक्त होकर भविष्य सुधार करने के लिए स्वयं में बदलाव करे जिससे सामाज की कुटितिया समाप्त हो एवं विकास हो देश समाज परिवार सब का हो।

Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN (Online): 3048-6513
Volume: 3 Issue: 2 || February 2026 || DOI: 10.5281/zenodo.18797795

विवाह के पहचान का प्रभाव :– स्त्री एवं पुरूषो पर अलग–अलग

विवाह की पहचान का प्रभाव स्त्री पर – देश में सम्पूर्ण विकास यदि करना है तो सबसे पहले हमें समाज में नारीयों 111ा वह आजादी की आवश्यता महसूस होती है जिसमें वह अपने मन पसंद की चीजे पहने, कार्य करे, निणर्य ले यह आजादी एक स्त्री का व्यक्ति गत व सामाजिक एवं राजनीति है प्राचीन काल से ही यदि देखा जाए तो महिलाओं हेतु पहनावे मे विवाह पश्चात साड़ी, एवं बिंदी, सिदूर मंगलसूत्र अनिवार्य किया गया जिसके कारण महिलाओं के पैरों में बेड़ी लगी यदि हम साड़ी की बात करे तो साड़ी पहनकर स्त्री तेज दौड़ नहीं सकती तेज चल नहीं सकती एवं छलाग नहीं लगा सकती यही यबये बड़ी बेडती है और समाज में पुरूषों को लगता है स्त्री कमजोर है इसके अलावा यदि सिन्दूर की बात करे तो सिन्दूर में लेंड ऑक्साइड पी.बी. 304 या मरक्यूरिन सल्फाइड का मिश्रण होता है जिससे श्रीर में एलर्जी या खुजली की समयाए होती है और यदि गलती से इसे खा लिया जाये तो मृत्यु कत हो जाती है यह भी कही ना कही महिलाओं की शारिरिक शोषण का कारण है और भी अनेक प्रकार की

निशानिया है जो महिला विकास में बाधा है जैसे लबे बाल का रखना आदि जो महिला को उनकी उन्नति और प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है

स्रेत गुगल फार्म

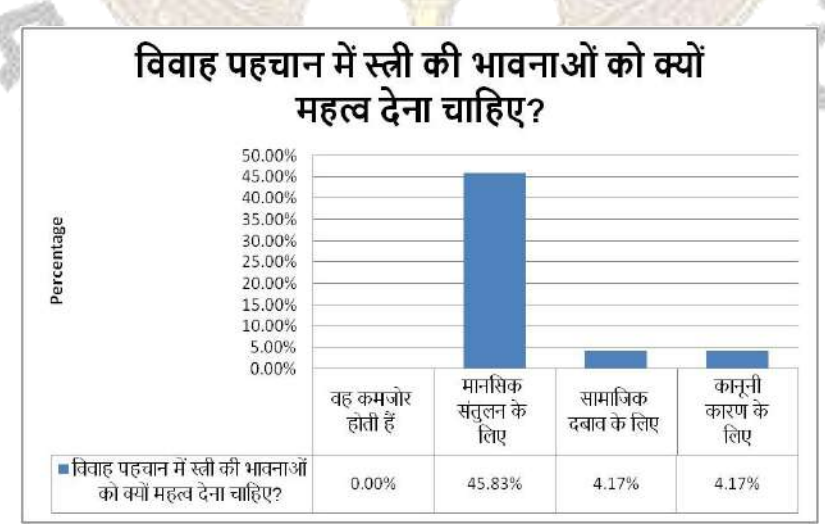

स्रोत गुगल फार्म

विवाह की पहचान का प्रभाव पुरूषों पर :– समाज में यदि हम पुरूष के विवाह पश्चात पहचान देखे तो कुछ भी नहीं है चूकि भारत पुरूष प्रधान देश है किन्तु यदि इसका प्रभाव हम देखे तो अधिक से अधिक देखने को मिलता है चाहे इसका प्रभाव समाज पर हो या एक स्त्री के जीवन पर पहचान तो पुरूषों की नही परन्तु प्रभाव महिला को झेलनी पड़ती है चूकि एक पुरूष की विवाह का पहचान नहीं है या छुपाने से समाज में पुरूषों का दो विवाह का होना या किसी अन्य स्त्री के साथ गैर कानून ढ़ग से संबंध बनाना या फिर धर्मात्रंतर जैसे समस्या क्योकि लड़के पहले से विवाहित होने पर भी अन्य से सबंध जोड़कर अपने पहली विवाह को बर्बाद करते है जिसमें फिर एक स्त्री द्वारा सफर करना होता है इसमें दो स्त्री एक पत्नि और दूसरी जो पत्नि नहीं दोनो के सथा शोषण हाकता है जिसका सीधा असर समाज पर नकारात्म पड़ता है इसलिए पुरूष प्रधान देश होने का पुरूष लाभ उठाते है, और या बनाए महिलाए सहती है।

पहचान की समस्या :– महिला को समाज पहचान दी उनके स्वयं की पहचान नहीं पहचान की समस्या से स्त्रीया जूझ रही बचपन में पिता, जवानी में पति, और बुढापे में बेटे के नाम से पहचान का मिलना जो महिला के स्वयं की पहचान छुपाती है यही सबसे बड़ी समस्या है।

वही पुरूष के अपनी स्वयं की पहचान होती है किन्तु विवाह की पहचान होने से समाज में वे प्रत्येक प्रकार के अपराध या जुर्म करके भी स्वतंत्र होते है जिसका असर समाज पर पड़ता है किन्तु उसे अनदेखा किया जाता है बड़े, बड़े लोगो द्वारा जो बड़े पदो पर वैद है क्योकि वे स्वयं पुरूष है और स्वयं के लिए निमय, कानून वे नही बनाते चुकी स्त्री को अपने से कमजोर उनका गया प्रारंभ से और इसलिए उनके लिए हजारों नियम बनाऐ और उसे मनवाए गए और उन्हें शोषित किया गया। 1858–1922 के दौरान एक अग्रणी भारतीय नारीवादी शिक्षाविद् और समाज सुधारक्ष हुई जिन्हो के रानीतिक विचार में पितृसत्ता जाति प्रथा महिला सशक्तिकरण कर विचार केंद्रित किया उन्होने अपने विचार में व्याख्या किया कि हिन्दू धर्म हो या कोई भी धर्म महिलाओं के दमन का विरोध किया जिन्हें हमारा समाज आज पंड़िता रमाबाई के नाम से जानता है और पड़ता है इस तरह अनेक विद्वान जैसे राजा राम मोहन राय डॉ. भीम राव अम्बेड़कर और अन्य भी जिन्होने नारी उत्थान पर कार्य किया और समाज में व्याप्त विकृतिया को समाप्त करने का कार्य जिन्मे से यह पहचान की विकृति भी एक है जो अछी ना कही महिला को शोषित कमजोर एवं उनके उन्नती के मार्ग में बाधा और धोखा खाने का कारण बनती है।

निष्कर्ष :– शताब्दियों से बालिकाएँ, किशोरियाँ, यूक्तियाँ, प्रौठाएँ, वृद्धाएँ केवल इस कारण पर भेदभाव का शिकार होती आया है, कि वे एक स्त्री है। जब विश्व एक तिहाई महिलाएँ है, परन्तु आपनी में सिर्फ 10 दिस्सा है विश्व में कुल सम्पत्ति में से एक प्रतिशत से भी कम की मालिक महिलाएँ है। वर्तमान परिद्रश्य में महिलाएँ वैश्विक संपत्ति के बहुत छोते हिस्से 1 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के बीन है, भारत में महिलाओं की कुल संपत्ति में लगभग 24 प्रतिशत वही पुरूषों में कुल संपत्ति का 65 प्रतिशत लैंगिक अंतर पुरूष श्रमिकों के एक रूपये के मुकाबले महिला श्रमिक 63 पैसे कमती है यह भी एक कारण है कि महिलाओं

के साथ हो रहे अन्याय शोषण जालसाजी जो प्रारंभ से लेकर अब तक चली आ रहे जिस पुरूष प्रधान समाज में नारी को ना ही स्वतंत्रता पूर्वक रहने खाने पहन्ने की आजादी ना दी गई मिली हो उस नारी का संपत्ती व समाज देश के विकास या कल्याण में सहयोग की मात्रा का बढ़ना संभव कैसे हो सकता है जो पुरूष प्रधान देश एक स्त्री को छोटी–छोटी बातो एवं चीजो के लिए अनेक तरह के समस्याओं से जूझने के लिए मजबूर किया उस समाज में नारी विकास कैसे हो यह सारी विकृतिय कही ना कही हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, रामायाण, आदि से जानकारी का ही कारण है क्योकि जितनी भी समाजिक नियम चाहे वह धार्मिक हो सामाजिक एवं सांस्कृतिक व राजनीति इन्ही ग्रंथों की देन है इसमें सुधार करते हुए ही हम समाज में नारी की स्थिति में सुधार ला सकते है एवं उनेक जीवन की यह बड़ी बाधा की नारिया भारत के 75 वर्ष स्वतंत्र पूर्ण होने पर भी स्वतंत्र नहीं है को सुधार जा सकता है धार्मिक ग्रंथों की लिखो बातों को कुछ संशोधन कर एवं हिन्दू विवाह अधिनियम के कुछ रिति रिवाज में अदलाव कर समाज में नारी की पहचान में बदलाव लाकर उनकी उन्नति प्रगति में हो रही बाधा को समाप्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. पवन कुमार मिश्रा, भारतीय समाज, (2020) किताब महल पबिलकेर्स
2. भारती पाश्चात्य चितन, (2007) साहित्य भवन पबिलकेशन, आगरा
3. डॉ. पवन कुमार मिश्रा, डॉ. प्रतिभा, समाज शास्त्र एक परिचय किताब महल
4. ब्रजकिशोर शर्मा, भारत का संविधान, (2012) च्म् स्मंतदपदह चतपअंजम सपउपजमक नई दिल्ली
5. सुजाता, विकास विद्रोहिणी पंडिता रमाबाई, (2023) राजकुमार प्रकाशन
6. डॉ. जयाशंकर पाण्डेय, भारतीय नारीवाद स्थिति और सम्भावता, (2018)
7. डॉ. अर्चना चंदेल, महिला उत्पीड़न और नारी उत्थान, (2023)
8. रतुराना एवं चौहान, भारतीय इतिहास में महिलाएँ, (2020)
9. राधा कुमार, स्त्री संघर्ष का इतिहास, (2018)
10. अनुराग द्विवेदी, महिला सशक्तिकरण मिथक और वास्वातिक, (2015)
11. प्रो. सतीश कुमार, महिला सशक्तिकरण चुनौती एवं संभावनएँ, 2024
12. मोनिका सिंह, सिमोन द बोआ द सेकेंद्र सेक्स,2024 वाणी प्रकाशन

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*